संख्या-816/2026/1814/22-2-2023-17(432)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 जून, 2026

विषयः- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्राम सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री विश्राम सिंह (दिनांक 18.12.2022 तक 63 वर्ष), जो धुस्का, थाना-जमानिया, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन के विवाद को लेकर दिनांक 28.10.1982 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी से मारकर 01 व्यक्ति को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-50/1983, धारा-302/149, 323/149, 147 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.09.2018 द्वारा धारा-323/149, 147, 304 (पार्ट-1) में 10 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.12.2022 तक अपरिहार 03 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 18.12.2022 तक अपरिहार 03 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 11 माह, 06 दिन की मात्र भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जितेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह (बन्दी संख्या-161/2019) पुत्र श्री विश्राम सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-816/2026/1814(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

2- पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

3- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।